# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 343/2023 निर्णय दिनांक :– 12.12.2023

उनवानी दावा :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रार्थी –

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र नन्दा जाति धाकड़ निवासी गोपालपुरा तह0 देवली जिला टोंक
2. सुरेन्द्र पुत्र नन्दा जाति धाकड़ निवासी गोपालपुरा तह0 देवली जिला टोंक
3. सन्तरा पत्नी नन्दा जाति धाकड़ निवासी गोपालपुरा तह0 देवली जिला टोंक
4. संन्ध्या पुत्री नन्दा जाति धाकड़ निवासी गोपालपुरा तह0 देवली जिला टोंक
5. हंसा पुत्री नन्दा जाति धाकड़ निवासी गोपालपुरा तह0 देवली जिला टोंक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–

तहसीलदार देवली — श्री अशोक कुमार गुप्ता

प्रार्थी — प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 5

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उल्लंघन के कारण धारा 175 में प्रार्थना पत्र

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की खाता संख्या 96 खातेदार नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा साकिन अलेक्जेण्डरपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार नन्दा पुत्र सुखदेव की मृत्यु हो चुकी है इनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 है । खातेदार किशना पुत्र गोरु जाति रेगर निवासी डांबरकला ने बेचान से दिनांक 14.1.1994 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 44 क्रम संख्या 10/94 द्वारा नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा साकिन अलेक्जेण्डरपुरा के नाम पंजीबद्ध कराया गया था। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं होकर सामान्य जाति के है जबकि पंजीयन प्रतिवादीगण के पिता नन्दा पुत्र सुखदेव जाति धाकड के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज कर करवाया गया था। ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 64 रकबा 1.20 है0 अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज रिकार्ड था जिसका पंजीयन सामान्य जाति के पक्ष में करवाया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

धारा 42 के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 29/95 दिनांक 19.8.2002 अपीलाण्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार द्वारा प्रकरण तैयार कर पेश करने बाबत पारित किया गया है। विकय पत्र पटवारी व भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की जाति धाकड (सामान्य) दर्ज है जो कपट पूर्ण कार्यवाही की श्रेणी में आता है। सलग्न दस्तावेज जमाबंदी नकल विक्रय पत्र एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार केता की जाति अनुसूचित जाति वर्ग से बाहर अन्य पिछड़े वर्ग का है अतः उक्त विकय पत्र के विरुद्ध वाद पत्र में अकित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही में आती है। अभियाचना यह है कि वाद पन्त्र से संबधित भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 1.20 है. ग्राम मानपुरा को धारा 175 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार (सिवायचक) के खाते में दर्ज करने व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता नन्दा पुत्र सुखदेव जाति वैरवा के खाते मे से विलोपित करने हेतु वाद प्रस्तुत है। प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है। एवं अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। अन्य दस्तावेज व साक्ष्य बरवक्त बहस प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 7 वाबजूद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

जवाबदावा प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर से अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार से प्रस्तुत हैः—वाद पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है है। वाद पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 में स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 कानूनी है। वाद पत्र का चरण नं. 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 8 कानूनी है। वाद पत्र का चरण नं. 9 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं 10 व कानूनी है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री कर दिया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थी तहसीलदार ने वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कोई आपति व्यक्त नहीं की और जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रा. पत्र, जवाब प्रतिवादीगण व संलग्न दस्तावेजात तथा पंजीबद्ध विकय पत्र, निर्णय प्रति अपील विरुद्ध नामान्तकरण, मौका रिपोर्ट व उभयपक्षकारान की बहस पर समग्रता से विचार किया गया।

वादी लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित किया है कि खातेदार किशना पुत्र गोरू जाति रेगर निवासी डाबरकला द्वारा दिनाक 14.01.94 को नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा निवासी अलेक्जेन्डरपुरा को ख. नं. 64 रकया 1.20 है0 का विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया। नन्दा पुत्र सुखदेव की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 है जो अनुसुचित जाति के सदस्य न होकर सामान्य जाति के है। पंजीयन में प्रतिवादीगण के पिता द्वारा जाति धाकड़ के स्थान पर बैरवा दर्ज करवायी है जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की उल्लघंन की श्रेणी में आता है। आगे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल नं. 29/95 निर्णय दिनांक 19.08.2002 का उल्लेख करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश करने का भी वर्णन किया है।

पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब व बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की है । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी का भी अवलोकन किया जमाबन्दी संम्वत 2076--79 ग्राम मानपुरा के ख. नं. 64 रकबा 1.20 है0 की खातेदारी वर्तमान में नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा सा. झण्डेलपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में शामिल मि. न 29/95 अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली का निर्णय दिनांक 19:08.2002 में न्यायालय हाजा द्वारा उल्लेख किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी नोटिस नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा के सम्बन्ध में तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना बताया है तथा नामान्तकरण को निरस्त कर तहसीलदार को निर्देशित किया है कि केता नन्दा पुत्र सुखदेवा के अस्तित्व की जांच कर विधिवत निर्णय ले। साथ ही अपील में यह भी निर्देशित किया है कि भूमि का विक्रय गैर अनुसूचित जाति को किया जाना आशापित था जिसको लेकर अपीलान्ट की स्वीकारोक्ति है तो रेस्पोबन्द का अस्तित्व ही नहीं हो तो भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज कराने हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करे। पंजीबद्ध विकय पत्र दिनाक 14.01.94 का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ख. नं. 64 रकबा 1.20 है०

ग्राम मानपुरा का विकय पत्र केता नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम झण्डेलपुरा के पक्ष में पंजीबद्ध हुआ है। जिसमें साक्ष्य में पप्पूलाल पुत्र सुखदेव व रामकरण पुत्र सुखदेव जाति धाकड द्वारा की गई है मौका पर्चा दिनांक 26.07.2023 गिरदावर मालेड़ा द्वारा बताया गया है कि ख. नं. 64 पर वर्तमान में नन्दा पुत्र सुखदेव जाति धाकड के वारिसान का ही कब्जाकाश्त है।

अतः प्रतिवादीगण की जवाब दावे में स्वीकारोक्ति व न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय अपील में पारित निर्णय से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पिता नन्दा पुत्र सुखदेव जाति धाकड़ द्वारा दिनांक 14.01.94 को उक्त ख. न. के पंजीयन में अपनी जाति धाकंड के स्थान पर बैरवा अंकित करवायी है जबकि अपील में माननीय न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया है कि नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है । अत नन्दाः पुत्र सुखदेव जाति धाकड अनुसूचित जाति का व्यक्ति होकर भी जाति बैरवा अंकित करवाकर दस्तावेज पंजीयन करवाया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब व अपील संख्या 29/95 से बखुबी साबित है कि प्रतिवादीगण के पिता ने पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 14.1.1994 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 44 क्रम संख्या 10/94 द्वारा नन्दा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा साकिन झण्डेलपुरा के नाम पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें अपनी जाति बैरवा अंकित करवायी थी जबकि उनकी जाति धाकड़ थी जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है तथा उक्त बेचान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 ख का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है।

अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2076–79 वाके ग्राम मानपुरा में दर्ज ख. नं. 64 रकबा 1.20 है0 में दर्ज खातेंदार नन्दा पुत्र सुखा जाति बैरवा का नाम हजफ किया जावे व वर्णित ख. नं. की भूमि को राजस्थान

सरकार सिवायचक के खाते में दर्ज कर, कब्जेराज लिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 12.12.2023 को सुनाया गया।**

12/12/23

**उपखण्ड अधिकारी**
**देवली**